न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 145 / 2024 (उदयपुर डिक्री)

छगनलाल पिता जीतमल जी जाट, निवासी रून्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. प्रहलाद पिता पूरणमल जी जाट, निवासी रून्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 04.11.2024 प्र.सं. 143 / 2024

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश मेनारिया अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुरेश मेनारिया अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 18–03–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा रून्डेडा में खाता संख्या 763 की आराजी नंबर 3123 से 3126, 3167, 3169, 3171 से 3174 कुल किता 10 रकबा 3.9400 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी का 1 / 3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2 / 3 हिस्सा अंकित होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज हैं। अतः विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र अंकन कराया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:06 IST
Reason: SelfAttested

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04–11–2024 को निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11–12–2024 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश मेनारिया उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश मेनारिया उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट को कभी भी सम्मन प्राप्त नहीं हुए, जिससे उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से वह अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सके। मौके पर पक्षकारान के मध्य पूर्व में सुविधानुसार विभाजन होकर अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक कथनों के आधार पर वाद डिक्री किया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट को विधिवत सूचना पत्र जारी हुए हैं तथा इनकी तामील हो चुकी है। तामील लेने से इंकार किया है। प्रारम्भिक डिक्री नियमानुसार जारी की गयी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 विवादित आराजियात के सहखातेदार हैं तथा प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का विभाजन कराने का पूर्व अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह सुस्पष्ट अंकित किया है कि जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार तहसीलदार मौके पर जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार करें। अपीलान्ट का यह कथन कि उनकी तामील नहीं हुई है, मिथ्या होकर मनगढ़न्त कथन है, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:06 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न रजिस्टर्ड डाक लिफाफे में स्पष्ट अंकित है कि प्राप्तकर्ता ने लेने से इंकार किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध जो एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है वह विधि सम्मत है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 04–11–2024 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:06 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰**.....मुकाम.....**उदयपुर**..... व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰** .....

छगनलाल पिता जीतमल जी जाट निवासी रून्डेडा, तह0 वल्लभनगर, जिला उदयपुर	बनाम	**जीतमल पिता पूरणमल जी जाट, नि0 रून्डेडा, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं॰....**145 / 2024**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**..... .....**वल्लभनगर**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**04**.....माह.....**11**.....**2024**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**18**.....माह.....**03**.....सन् **2025** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी....**श्री मुकेश मेनारिया**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुरेश मेनारिया**.....

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 04–11–2024 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**18**.....माह.....**03**.....**2025** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.04.15 15:04:06 IST
Reason: SelfAttested